दिनांक–15.07.2025 को ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में पेराई सत्र 2025–26 के लिए चीनी मिलों द्वारा जी.पी.एस. प्रणाली के माध्यम से किय जा रहे ईख सर्वे से संबंधित विडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, संयुक्त ईखायुक्त/सभी क्षेत्रीय ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी/कार्यरत चीनी मिलों के प्रतिनिधि।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

चालू पेराई सत्र 2025–26 अन्तर्गत राज्य की चीनी मिलों द्वारा जीपीएस के माध्यम से गन्ना आच्छादित क्षेत्रों का किये जा रहे सर्वेक्षण की समीक्षा की गयी, जिसका विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	सत्र 2025–26 में चीनी मिलों द्वारा GPS प्रणाली के माध्यम से हो रहे सर्वे कार्य से संबंधित दिनांक– 08.07.2025 तक		सत्र 2025–26 में चीनी मिलों द्वारा GPS प्रणाली के माध्यम से हो रहे सर्वे कार्य से संबंधित दिनांक–15.07.2025 तक		प्रगति
		कुल आरक्षित ग्रामों की संख्या	सर्वेक्षित ग्रामों की संख्या	कुल आरक्षित ग्रामों की संख्या	सर्वेक्षित ग्रामों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1	बगहा	352	352	352	352	0
2	हरिनगर	411	403	411	411	8
3	नरकटियागंज	449	425	449	439	14
4	मझौलिया	300	300	300	300	0
5	गोपालगंज	1625	1406	1625	1565	159
6	सिधवलिया	1204	1204	1204	1204	0
7	हसनपुर	753	753	753	753	0
8	लौरिया	150	150	150	150	0
9	सुगौली	379	345	379	379	34
10	रीगा	1405	305	1405	359	54
11	प्रतापपुर (उ०प्र०)	741	741	741	741	0
	योगः–	**7764**	**6384**	**7764**	**6653**	**269**

क्रमशः..........2

ईखायुक्त, बिहार द्वारा श्री श्रीराम, ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया एवं श्री रेमन्त झा, ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया तथा सुश्री शिवांगी पाण्डेय, ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर से पूछा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के सर्वे में कराये गये रकवा में गिरावट क्यो हुआ है? जिसपर किसी पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया है। ईखायुक्त द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत पिछले तीन वर्षो का ग्रामवार सर्वे का तुलनात्मक डाटा का पूर्ण रूप से analysis कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा अपने परम्परागत ग्रामों को क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण (PPT) द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस चीनी मिल का कुछ गॉव scattered (बिखरा हुआ) है। जिसपर ईखायुक्त द्वारा ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया को नक्शा को पूर्णतः विश्लेषण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया। नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा कुछ नये ग्राम के आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया जो अन्य चीनी मिलों का आरक्षित क्षेत्र था। ईखायुक्त द्वारा नरकटियागंज चीनी मिल को कहा गया कि नये ग्राम आरक्षित हेतु तभी विचारणीय होगा जब नक्शें में उनका आरक्षित ग्राम से निरंतरता में होगा। ईखायुक्त द्वारा नरकटियांगज चीनी मिल को अपराम्परागत ग्राम जहाँ–तहाँ है उसे छोड़कर नजदीक के ग्रामों का आरक्षण का प्रस्ताव हेतु परामर्श दी गयी।

बैठक के क्रम में लौरिया एवं बगहा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा नरकटियागंज चीनी मिल के नये आरक्षण के प्रस्ताव का प्रतिरोध किया गया।

अंत में ईखायुक्त द्वारा चीनी मिल प्रबंधकों को कहा गया कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत ग्रामों का क्षेत्र आरक्षण हेतु प्रस्ताव दे सकते हैं।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

21/7/2025
(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–02 / 2024–1191/ई०गो०/ पटना, दिनांक– 21. जुलाई, 2025

प्रतिलिपि–सभी संबधित ईख पदाधिकारी / महाप्रबंधक, सभी कार्यरत चीनी मिलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/2025
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–02 / 2024– 1191/ई०गो०/ पटना, दिनांक– 21 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

21/7/2025
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–02 / 2024– 1191/ई०गो०/ पटना, दिनांक– 21 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

21/7/2025
ईखायुक्त, बिहार।